

**अधिसूचना संख्या 205/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1992(ई), दिनांक  
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1124(ई) दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 10 पर, "पर्यावरण में प्लास्टिक के लिए भारतीय केंद्र, द्वितीय तल, कुशेष हवेली, 22, कावसजी पटेल स्ट्रीट और 48/54, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुंबई - 400001" द्वारा "पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पुनः उपयोग" को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.1424(ई) दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.1262(ई) दिनांक 18 मई, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, और जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.663(ई) दिनांक 12 मार्च, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-2013 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1424 (ई) दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 द्वारा संस्थान का पता बदल दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2605 (ई) दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 द्वारा लागत को 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के बारह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट है कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पुनः उपयोग" योजना या परियोजना को निर्दिष्ट करती है, जिसे "पर्यावरण में प्लास्टिक के लिए भारतीय केंद्र, दूसरी मंजिल, कुशेष हवेली, 22, कावसजी पटेल स्ट्रीट और 48/54, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुंबई -400001" द्वारा अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 20.00 करोड़ रुपये को वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

■ ■